न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—299/2016/223 (2016/00299)

1. कम्मा पुत्र किशना पुत्र पहाड़ा, जाति रावत,
2. मिश्रु पुत्र वजीरा पुत्र पहाड़ा, जाति रावत,
3. काना पुत्र वजीरा पुत्र पहाड़ा, जाति रावत,
   निवासीगण गोहाना, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सांवल पुत्र बींजा, जाति रेगर, (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— मांगूराम पुत्र सांवल,
   1/2— गणपतराम पुत्र सांवल,
   1/3— विष्णुराम पुत्र सांवल,
   समस्त जाति रेगर, निवासी गोहाना, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. उप पंजीयक, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 26.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 57/2010

उपस्थितः—

1. श्री भरत गुर्जर, वकील अपीलांटस।
2. रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/3 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 5.

निर्णय

दिनांकः— 19.6.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गौहाना, तहसील ब्यावर में स्थित साबिक खसरा नंबर 192 व 193 की भूमियों की खातेदारी हक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 के कॉलम संख्या 5 में खातेदार काश्तकार दर्शाया गया है, तथा वादीगण के पूर्वज बाबत् इंद्राज है किन्तु उक्त जमाबंदी में विवादित भूमि बाबत् उपकृषक के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम बींजा पुत्र बन्ना दर्शा रखा है । बींजा पुत्र बन्ना वादीगण की तमाम भूमियों को मासत्र बुवाई का कार्य वादीगण के पूर्वजों की हिदायत अनुसार करता चला आ रहा था । साबिक खसरा नंबर 192 का हाल खसरा नंबर 273 है तथा साबिक खसरा नंबर 193 का हाल खसरा नंबर 274 है । पिछले करीबन 35–40 सालों से न तो बींजा पुत्र बन्ना के किसी वारिस के द्वारा विवादित भूमियों की बुवाई का कार्य नहीं किया गया, वादीगण की अन्य दीगर खातेदारी भूमियों के साथ वादीगण के द्वारा ही बुवाई, सिचांई हर प्रकार से की जाती रही है । विवादित भूमियों से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा मौके पर वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है । विवादित भूमि साबिक खसरा नंबर 192,, 193 में वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अधिकारियों की त्रुटि से अंकन किया गया है । वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार समझाया गया की तहसीलदार, ब्यावर के समक्ष चलकर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती की कार्यवाही कर लेवे जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सहयोग नहीं दिया गया बल्कि राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाने की बाते की गई इस कारण यह वाद पेश करना पड़ा है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर हाल खसरा नंबर 273 व 274 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दुरूस्त किया जाकर वादीगण के हक में किया जाने का आदेश फरमावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2016 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने राजस्व लोक अदालत कैम्प गोहाना में बिना अपीलांटस को सूचना दिये वाद को नियत कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जल्दबाजी में आपना अस्पष्ट, कारण रहित, नॉन स्पीकिंग निर्णय व डिक्री से वादीगण का वाद खारिज कर अपने क्षैत्राधिकार व अधिकारिता को गलत प्रयोग में लिया है । उक्त वादपत्र राजस्व लोक अदालत में निर्णित यिके जाने योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस ने अपने वादपत्र के अभिवचनों को सिद्ध करने के लिये मौखित साक्ष्य में वादी स्वंय का शपथ पत्र के अलावा गवाह में गोपाल पुत्र तुलसासिंह व कालूराम पुत्र उदाराम के शपथ पत्र पेश किये थे । दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2041 से 2044, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2065 से 2068, प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 प्रस्तुत किये लेकिन परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित नहीं कर अपने

क्षैत्राधिकार का गलत प्रयोग किया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को अगोक बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आरायिजात खपसरा नंबरान की भूमियां राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2024 से 2027 के कॉलम संख्या 5 में वादीगण/अपीलांटस के पर्वूजों को खातेदार काश्तकार दर्शाया गया है किन्तु सैटलमेंट विभ्झाग द्वारा सैटलमेंट के दौरान बिना किसी अधिकारिता के जमाबंदी जारी करते समय भूमि साबिक आराजी खसरा संख्या 192 हाल आराजी खसरा नंबर 273 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व साबिक आराजी नंबर 194 हाल आराजी नंबर 274 रकबा 19 बिस्वा बाबत् उप कृषक के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम बींजा वल्द बन्ना दर्ज कर दिया जबकि बींजा वादीगण/अपीलांटस की तमाम भूमियां साबिक खसरा नंबर से दर्शायी गई है, को मात्र बुवाई का कार्य वादीगण/अपीलांटस के पूर्वजों की हिदायत के अनुसार करता था । यह भी कथन किया कि पिछले 35–40 वर्षो से बींजा वल्द बन्ना व उसके किसी वारिस के द्वारा विवादित आराजियात को किसी प्रकार से बुवाई का कार्य नहीं किया गया है बल्कि अपीलांटस ही अपनी अन्य आराजियात के साथ विवादित आराजियात की बुवाई व सिंचाई करता आ रहा है । विवादित भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 का न होकर अपीलांटस का चला आ रहा है । परीक्षण न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वादपत्र का प्रतिवादपत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर जवाबदावा बंद कर दिया गया था ऐसी स्थिति में बिना जवाबदावसा के प्रतिवादी/रेस्पो0 ने मौन रूप से वादपत्र के कथनों को स्वीकार कर कर लिया था । अधी0न्याा0 को आदेश 20 नियम 4 (2) व आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के आज्ञापक प्रावधानों के तहत वाद को निर्णित करना चाहिये था लेकिन अधी0न्याया0 ने स्वंय न्यायियक प्रक्रिया नहीं अपना कर लोक अदालत कैम्प में पत्रावली रखकर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने वाद को राजस्व कैम्प गोहाना में रखकर निर्णित किया है किन्तु कैम्प की सूचना वादीगण/अपीलांटस को नहीं दी गई । यह भी कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात, मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद को राजस्व कैम्प गोहाना में रखकर दिनांक 26.5.2016 को निर्णित किया है । पत्रावली राजस्व कैम्प गोहाना में रखे जाने के नोटिस वादीगण को कब जारी किये गये तथा कब तामील हुए इस संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादीगण के वाद को निर्णित करने हेतु वाद में तनकियात कायम नही की जो कायम किया जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मोखिक साक्ष्यों का विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कल्क्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 26.5.2016 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये विवेचन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । प्रकरण की परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए हम उभयपक्ष को इस निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वाद के निर्णय तक विवादित आराजियात के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 19.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर